## न्यायालय :–कमलेश कुमार कोल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म0प्र0)

क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./ 9. /2023 खण्डवा, दिनांक–20..06.2023

### ––:आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में प्रथम संशोधन आदेश'':–

1– मैं कमलेश कुमार कोल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला पूर्व निमाड खण्डवा 14(1) व 15 (2) द.प्र.सं 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा का पत्र कमांक 2193/कम्प्यूटर/2022 खंडवा दिनांक 22.06.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के मेमो Reg(IT)(SA)/2022/753 Jabalpur Dated 16.06.2022 and मेमो Reg(IT)(SA)/2022/71450 Jabalpur Dated 17-11-2022 के अनुसार वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही हेतु संपूर्ण जिला खंडवा के समस्त थानों से उद्भूत मात्र अर्थदण्ड से दंडित मोटरयान अधिनियम से संबंधित अपराध वर्चुअल कोर्ट में निराकरण हेतु श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा को अधिकृत किया गया।

अतः उक्त आदेश एवं मेमो तथा प्रशासनिक दृष्टि से, दिनांक 26.04.2023 से प्रभावशील आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक कमांक/क्ष/प्र0फौ0/क्यू/2023 खण्डवा दिनांक 26.04.2023 में सारणी कमांक 3 श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा के कार्य विवरण की कंडिका कमांक 5 के रूप में स्थापित करता हूं कि समस्त आरक्षी केंद्र, जिला खंडवा से उद्भूत मोटरयान अधिनियम के अपराध जो कि मात्र अर्थदण्ड से दंडनीय हों के अपराधों पर संज्ञान एवं विचारण।

कार्य विभाजन पत्रक दिनांक 24.04.2023 के कमांक 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर उल्लेखित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य मजिस्ट्रेट खंडवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता के कॉलम कमांक 4 जहां पर **कार्य का विवरण** लेख है, में यह स्थापित किया जाता है कि वर्चुअल कोर्ट में **ऑनलाईन** प्रस्तुत होने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण जो कि मात्र अर्थदंड से दंडनीय हो को छोड़कर।

अनुमोदित

(कमलेश कुमार कोल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)

Principal District & Sessions Judge
East Nimar, Khandwa (M.P.)